भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1370
03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी

1370. श्री विजय कुमार हॉसदाक:
श्री तनुज पुनिया:
श्री के.सी.वेणुगोपाल:
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पीएम-किसान योजना के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले अपात्र लभार्थियों की पहचान करने के लिए इस योजना की लेखापरीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए अपात्र लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और अब तक राज्य-वार कितनी राशि वसूल की गई है;
(ग) इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक रद्द किए गए लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार सूची क्या है और इनके रद्द होने के प्राथमिक कारण क्या हैं;
(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस योजना का लाभ केवल पात्र छोटे और सीमांत किसानों को मिले; और
(ड.) क्या सरकार का कश्तकार किसानों के लाभ के लिए इस योजना का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है।

यह योजना शुरू में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके निवारण के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अलावा, आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी के साथ भूमि सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, उन्हें योजना का लाभ उनकी देय किस्तों, यदि कोई हैं, के साथ मिलेगा।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयकर दाता, उच्च आय वर्ग, सरकारी कर्मचारी आदि के कारण चिन्हित अपात्र किसानों से वसूली शुरू कर दी गई है। देशभर में अब तक ऐसे अपात्र लाभार्थियों से कुल 335 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

(ग) योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। किसान, पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। एक बार जब इसे राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो विभाग द्वारा तुरंत लाभ वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया जाता है और इसे अगली किस्त में उनको जारी किया जाता है।

(घ) पीएम-किसान योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी भू-धारक किसान, अपनी भूमि के आकार पर निर्भर हुए बिना लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ङ) वर्तमान में, इस योजना की पहुँच टेनेन्ट किसानों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****